

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रांक— 3524 /33-1, दिनांक, गोण्डा, मई 17 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय—

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/14236/2021)

संदर्भ—

महोदय,

आपका पत्रांक-2400/11-सी- FP/UP/ROAD/14236/2021 दिनांक 06.05.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा आपत्तियाँ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रांक-3529/33-1, दिनांक 27.04.2023 व प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने अपने पत्रांक-5535/33-1, दिनांक 06.05.2023 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती ने अपने पत्रांक-2804/33-1, दिनांक 17.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04-04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव 03-03 प्रतियों व पैनड्राइव सहित मूल में संलग्नकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—प्रस्ताव 03-3 प्रतियों व पैनड्राइव सहित मूल में।

भवदीय,

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक—

/अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:—प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
पत्रांक 3527 /33-1, दिनांक, अप्रैल 27 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाट वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:- बहराईच-गोण्डा एस०एच०-30 के कि०मी० 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुदुर्गीकरण में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2637 वृक्ष तथा 22260 पौधों के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2400/11सी दिनांक 22.01.2023 एवं आपका पत्रांक 2383/33-1 दिनांक 20.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2520/33-1 दिनांक 30.01.2023 से अधिशापी अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड लो०नि०वि० बहराईच को इंगित आपत्तियों का वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, उनके द्वारा अपने पत्र सं०-46/3सी० दिनांक 20.02.2023 में संलग्न कर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण करके सम्बन्धित अभिलेख दिनांक 02.03.2023 को इस कार्यालय में 5 प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है। जिससे सम्बन्धित अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्न कर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, उत्तरालेख निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टीफिकेशन) प्रमाण पत्र अपूर्ण है। तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जस्टीफिकेशन प्रमाण पत्र पूर्ण कर दिया गया है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर दिया गया है।
2	पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। किन्तु शारांश में बाधक वृक्षों का व्यासवार गलत अंकित किया गया है। अतः सही कर संशोधित शारांश ऑनलाइन अपलोड करें।	पातन होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है। बाधक वृक्षों का व्यासवार अंकित कर संशोधित शारांश ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	लागत लाभ विशलेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु एन०पी०वी० की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।	लागत लाभ विशलेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है एन०पी०वी० भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरवाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-एफ०सी०(वी०ओ०एल०-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार आकलित किया कर अपलोड किया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के जियो रिफरेंस डिजीटल मैप पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के जियो रिफरेंस डिजीटल मैप पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
6	पावर ऑफ आर्टनी/आर्थटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संलग्न कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर कर दिया है।

8	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है। किन्तु स्थल चिह्नित नहीं है।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है, एवं स्थल चिह्नित कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव में 10 कि०मी० की परिधि में कोई सेन्स्यूरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में 10 कि०मी० की परिधि में कोई सेन्स्यूरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी है।
10	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
12	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
14	ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में रोजगार का विवरण भिन्न भिन्न अंकित है जो कि गलत है। अतः एक समान सही विवरण ऑन लाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में अंकित करें।	ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में रोजगार का विवरण एक समान अंकित कर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
15	ऑनलाइन भाग-2 में 2637 बाधक वृक्षों का उल्लेख किया गया है। जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की संख्या हार्ड कापी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	अतः सही बाधक वृक्षों की संख्या हार्ड कापी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
16	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रोफार्मा-29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
17	ऑनलाइन भाग-2 में सी०ए० की समेकित के०एम०एल० फाइल अपलोड की गयी है। जो कि स्वीकार नहीं है। अतः सम्बन्धित सी०ए० पैचों की ही के०एम०एल० फाइल अपलोड करें।	सम्बन्धित सी०ए० पैचों की ही के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दिया गया है।
18	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 16 प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भाग-2 अपलोड नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भाग-2 अपलोड कर दिया गया है।
19	पेनड्राइव में सी०ए० की समेकित के०एम०एल० फाइल अपलोड की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल एवं सम्बन्धित सी०ए० पैचों की ही के०एम०एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल एवं सम्बन्धित सी०ए० पैचों की ही के०एम०एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या.....अ/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
 गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।
पत्रांक 5535 / 2-6, दिनांक, बहराइच, मई, 06 / 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:-

V.F.C

21/5/23

संदर्भ :-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाघक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाघक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाघक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/147236/2021)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-2400/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 20-01-2023 तथा आपका पत्रांक-310/33-1, दिनांक 03-04-2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कमियाँ	आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टीफिकेशन) प्रमाण पत्र अपूर्ण है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।	प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टीफिकेशन) प्रमाण पत्र पूर्ण कर प्रयोक्ता एजेंसी एवं अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
2	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एन०पी०वी० की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संशोधित कर संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग-1 में सही अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंडर्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंडर्ड क्रास सेक्शन पर अधोहस्ताक्षरी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
5	प्रस्ताव में 10 कि०मी० परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में 10 कि०मी० परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
8	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।

पृष्ठ 2 पेज पर

✓

9	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र पर अधोहस्ताक्षरी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में रोजगार का विवरण भिन्न भिन्न अंकित है, जोकि गलत है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में अंकित करें।	ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में रोजगार का विवरण भिन्न भिन्न अंकित है, को सही कर दिया गया है तथा एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-1 व हार्डकापी भाग-1 में अंकित कर दिया गया है।
11	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 District wise area to be diverted in the division में कोई डाटा फीड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 District wise area to be diverted in the division में बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के अन्तर्गत 15.33 हे० फीड कर दिया गया है।
12	ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में फीड किया गया विवरण भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 में District Profile में फीड करें।	ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में फीड किया गया विवरण को एक समान सही विवरण फीड कर दिया गया है।।
13	प्रस्ताव में संलग्न किया गया Profarma-29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया Profarma-29 पर पृष्ठ क्रमांक अंकित होने के कारण प्रस्ताव से पृथक नहीं किया गया है बल्कि Profarma-29 Not Applicable है इस हेतु का वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14	ऑनलाइन भाग-2 में CA की समेकित के०एम०एल० फाइल अपलोड की गयी है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः सम्बन्धित CA पेंचों की ही के०एम०एल० फाइल अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 में CA की समेकित के०एम०एल० को हटा कर इस वन प्रभाग से सम्बन्धित CA पेंचों की ही के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दी गयी है।
15	पेनड्राइव में CA की समेकित के०एम०एल० फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल एवं सम्बन्धित CA पेंचों की ही के०एम०एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	पेनड्राइव में CA की समेकित के०एम०एल० फाइल को हटा कर इस वन प्रभाग से सम्बन्धित CA पेंचों की के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दी गयी है। उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेखों की 04 प्रतियाँ मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(संजय शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक.....अ/दिनांकित ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- (2) प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

(संजय शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।

पत्रांक 2804 /33-1, दिनांक, श्रावस्ती, मई 17 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०,
गोण्डा।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा एस०एच०-30 के कि०मी० 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुदुकीकरण में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2637 वृक्ष तथा 22260 पौधों के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2400/11सी दिनांक 22.01.2023 एवं आपका पत्रांक 2383/33-1 दिनांक 20.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग का आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फीड कर दिया गया है।

अतः गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग का प्रस्ताव एवं पेनड्राईव चार प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र० सं०	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई है, किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण रूप से भरा भी नहीं गया है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित वनभूमि की गणना पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि से प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण-पत्र अपूर्ण है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
4	पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा ऑनलाईन भाग-2 में 8546 वृक्षों को अपलोड किया गया है, जबकि प्रस्ताव में बाधक 6299 वृक्षों की सूची संलग्न है तथा व्यासवर्ग में संख्या भी भिन्न-भिन्न है। अतः सही व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न तदनुसार संलग्न करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
5	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु एन०पी०बी० की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वन भूमि के Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंडर्ड कास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है, किन्तु गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है तथा स्थल भी चिन्हित नहीं किया गया है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में 10कि०मी० परिधि में कोई सेंचुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
11	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

	के हस्ताक्षर नहीं है।	
12	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
13	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों के पतन से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
15	अनलइन 1A-1 व हार्डकापी भाग-1 में रोजगार का विवरण भिन्न-भिन्न अंकित है जो कि गलत है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
16	ऑनलाइन भाग-2 में 8546 बाधक वृक्षों को अपलोड किया गया है जबकि हार्ड कापी भाग-2 में 6299 बाधक वृक्षों का उल्लेख किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची प्रस्ताव में संलग्नकर ऑनलाइन अपलोड करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
17	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-7 एवं हार्डकापी भाग-2 के क्रमांक-9 में विवरण भिन्न-भिन्न अंकित है तथा हार्डकापी भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि भी गलत अंकित है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
18	ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में फीड किया गया विवरण भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में फीड करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
19	प्रस्ताव में संलग्न किया गया Profarma-29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
20	ऑनलाइन भाग-2 में CA की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः सम्बन्धित CA पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
21	ऑनलाइन भाग-2 में सी0ए0 का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप अपलोड नहीं किया गया है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
22	ऑनलाइन भाग-2 में क्रमांक 16 प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति कर भाग-2 अपलोड नहीं किया गया है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
23	पेनड्राइव में सी0ए0 की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

V.F.C

17/5/23

भवदीय
(धर्मेन्द्र नाथ सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।